रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L. –33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 2013/चैत्र 13, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 3
No. 57] DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 2013/CHAITRA 13, 1935 [N.C.T.D. No. 3

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस–1/स्थापना विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 3 अप्रैल, 2013

फा. सं. 16/5/2013/गृ.पु.–1/स्थापना/54 से 58.–दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1.	**संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**	(1)		ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013 कहे जायेंगे ।
		(2)		ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।
2.	**नियम 14 (क) में संशोधन**	(1)		दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
		उप–निरीक्षक (महिला)		
		(1)	**आयु**	20 **से** 25 वर्ष, निम्नलिखित के लिए शिथिलनीयः–

			(i)	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 28 वर्ष और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए 30 वर्ष।
			(ii)	विधवाओं, तलाकशुदाओं एवं न्यायिक तौर पर पृथक हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है उनके लिए 35 वर्ष (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के लिए 40 वर्ष) ।
			(iii)	दिल्ली पुलिस की विभागीय प्रत्याशियों के लिए 30 वर्ष (अन्य पिछडा वर्ग के लिए 33 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के लिए 35 वर्ष) ।
		(2)	ऊंचाई	157 सें.मी., निम्नलिखित के लिए शिथिलनीय :–
			(i)	अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए 3 सें.मी. (154 सें.मी.) तक।
			(ii)	पहाडी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 2 सें.मी. (155 सें.मी.) तक ।
			(iii)	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए 5 सें.मी. (152 सें.मी.) तक ।
		(3)	छाती	ऊंचाई के अनुसार
	टीप :– दिल्ली पुलिस में प्रारिम्भक नियुक्ति के समय एक बार प्रदान की गई शारीरिक मानक (ऊंचाई) में छूट दिल्ली पुलिस में संबंधित महिला–कर्मी के बने रहने तक जारी रहेगी ।			
		(4)	शैक्षिक योग्यताएं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष
		(5)	चिकित्सा मानक	(i) बिना दोष सुधार अर्थात् चश्में पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरदृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ii) प्रत्याशियों के घुटने आपस में न भिडें, पैर सपाट न हो, आंखों में स्फीत/शिरा या भेंगापन न हो और उनकी रंग पहचान क्षमता संबंधी दृष्टि उत्कृष्ट होनी चाहिए । (iii) उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अवश्य श्रेष्ठ हो और वे किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष से मुक्त हो, अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक करने में किसी प्रकार की बाधा की संभावना न हो ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जी.पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME POLICE –I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 3rd April, 2013

No. F.16/5/2013/HP-I/Estt./54 to 58.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rule further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:—

1 Short title and commencement (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2 Amendment of Rule 14(a) In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, for Rule 14, the following shall be substituted namely:-

(a) Sub-Inspector (Women)

(1) Age	20 to 25 years, relaxable upto:-
	(i) 28 years for OBCs and 30 years for SCs/STs candidates.
	(ii) Upto 35 years (38 years for OBCs and 40 years for SCs/STs) for widows/ divorced women/ women judicially separated and who are not remarried.
	(iii) Upto 30 years (33 years for OBCs and 35 years for SCs/STs) for departmental candidates of Delhi Police.
(2) Height	157 cms, relaxable by:-
	(i) 3 cms (154 cms) for ST candidates. (ii) 2 cms (155 cms) for residents of hill areas. (iii) 5 cms (152 cms) for compassionate appointments.
(3) Weight	Corresponding to height.

Note:-"The relaxation in physical standards (height) once granted at the time of initial appointment in Delhi Police will hold good till the individual concerned remains in Delhi Police".

(4) Educational Qualification	Bachelor's degree from a recognised University or equivalent.
(5) Medical standard	(i) The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses. (ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision.

(iii)They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अप्रैल, 2013

सं. एफ. 29/17/ईपीएफ/श्रम/09/49.–जबकि मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल स्टाफ, रामाकृष्ण पुरम सैक्टर 12, नई दिल्ली–110022 (इस के बाद उक्त संस्थापन के रूप में संदर्भित) ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (इस के बाद इस अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के तहत छूट के लिए आवेदन किया है ।

और जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने आवेदन पर विचार करने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल स्टाफ भविष्य निधि ट्रस्ट, रामाकृष्ण पुरम सैक्टर 12, नई दिल्ली–110022 (डीएल/6477) की पूर्व प्रभाव से 1–8–1982 से छूट की सिफारिश की है ।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राय में उक्त संस्थापन के भविष्य निधि के नियम इस अधिनियम की धारा 6 में निर्दिष्ट योगदान की दर की तुलना में कम अनुकूल नहीं है, और कर्मचारी भी अन्य भविष्य निधि लाभ का उपयोग कर रहे हैं जोकि इसी तरह के किसी भी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम या कर्मचारी निधि योजना, 1952 (यहां के बाद उक्त योजना) के तहत प्रदान लाभों की तुलना में कम अनुकूल नहीं हैं ।

अब, इसलिए, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ, उक्त संस्थान को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रावधानों के संचालन से पूर्व प्रभाव से 1–8–1982 से छूट प्रदान करते हैं ।

अनुसूची

1. नियोक्ता उक्त संस्थापन के संबंध में हर महीने के अंत से 15 दिनों में ऐसे निरीक्षण शुल्क का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निर्देशित करेगा, और निरीक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) के तहत भविष्य निधि के योगदान के निवेश के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

(ii) उचित ध्यान रखेगा कि उक्त संस्थापन के संबंध में गठित न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निदेर्शों के अनुसार भविष्य निधि योगदान का निवेश करेगा और न्यासी बोर्ड द्वारा किए गए ऐसे निवेश के लिए उक्त संस्थापन जिम्मेदार होगा ।

(iii) रूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा की केन्द्रीय सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्देशित करेगा ।

(iv) प्रत्येक कर्मचारी को खाते का एक वार्षिक बयान या एक पास बुक उपलब्ध करेगा ।

(v) भविष्य निधि के प्रशासन में शामिल सभी खर्च जैसे खातों के रख–रखाव, खातों और रिटर्न के सबमिशन राशि के हस्तांतरण और निरीक्षण शुल्क का भुगतान को वहन करेगा ।

(vi) हर साल प्रत्येक सदस्य के खाते में न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसी दरों का ब्याज के रूप में क्रेडिट की जायेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से कम नहीं होगी ।

(vii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि के नियमों की एक प्रतिलिपि और जब नियम संशोधित हो संशोधन की कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा ।

(viii) भविष्य निधि के लिए योगदान की उचित दर पर बढ़ाया ताकि उक्त संस्थापन के भविष्य निधि योजना के तहत मिलने वाले उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ की तुलना में कम अनुकूल नहीं होगा ।

(ix) वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त दिल्ली, अपने भविष्य निधि के एक लेखापरीक्षित तुलन–पत्र हर साल प्रस्तुत करेगा ।

(x) नियोक्ता समय–समय पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

2. जबकि एक कर्मचारी, जो पहले से ही अधिनियम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि या योजना (सांविधिक निधि) या भविष्य निधि या किसी अन्य छूट की स्थापना का एक सदस्य है को उक्त संस्थापन में भरती करेगा नियोक्ता तुरंत उसे भविष्य निधि एक सदस्य के रूप में कहा कि कार्यरत है, भर्ती करेगा के स्थापना और कहा कि ऐसे कर्मचारी और अपने खाते में एक ही क्रेडिट के संबंध में पिछले राशि स्वीकार की।

3. उक्त संस्थापन की भविष्य निधि के नियमों का कोई संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी भी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली अपने अनुमति देने से पहले उक्त संस्थापन के कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए उचित अवसर देगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
रमेश तिवारी, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd April,2013

No.F. 29/17/EPF/Lab/09/49.—Whereas, M/s. Delhi Public School Staff Provident Fund Trust, Sector–12, R.K.Puram, New Delhi–110022 (hereinafter referred to as the said establishment) applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Board of Trustees has recommended that exemption under section 17(1) (a) of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) to M/s. Delhi Public School Staff Provident Fund Trust (DL/6477) retrospectively with effect from 01-08-1982 may be granted.

And whereas, in the opinion of the Government of National Capital Territory of Delhi the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable than those specified in section 6 of the said Act, and the employees are also in the enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees that the benefits provided under the said Act or under the Employees Provident Fund Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby exempts the said establishment from the operation of the provisions of the Employees Provident Fund Scheme retrospectively with effect from 01/08/1982.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said Establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub section (3) of the said Act, 15 days from the close of every month.

(i) Shall comply with the directions issued by the Central Government from time to time, under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act in regard to the investment of contribution to the provident fund.

(ii) Shall take due care to see that the Board of Trustees constituted in respect of the said establishment invest the contributions to the provident fund in accordance with the directions issued by the Central Government, from time to time and shall be responsible for such investment of the contributions to the provident fund by the said Board of Trustees.

(iii) Shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi as the Central Government may from time to time direct.

(iv) Shall furnish to each employee an annual statement of account or a pass book.

(v) Shall bear all expenses involved in the administration of the provident fund including the maintenance of the accounts, submission of accounts and returns, transfer of accumulations and payment of inspections charges.

(vi) Shall credit, every year to the account of each member interest at such rates as may be determined by the Board of Trustees and such rates, said rates shall not be less than the rates determined by the Central Government from time to time.

(vii) Shall display on the Notice Board of the said Establishment a copy of the rules of the provident fund as approved by the Central Government and as when amended the amendment thereto along with translation of the sailent points thereof in the language of the majority of the employees.

(viii) Shall enhance the rate of contributions to the provident fund appropriately if such rate for the class of under the said Act so that the benefit under the provident fund scheme of the said establishment shall not become less favourable than the benefit provided under the said Act.

(ix) Shall submit an audited balance sheet of its provident fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, within Six months of the close of the year.

(x) Shall comply with the directions issued by the Regional Provident Fund Commissioner from time to time.

2. Where an employee who is already a member of the Employees Provident Fund under the said Act or the said scheme (statutory fund) or the provident fund or another exempted establishment is employed in the establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the provident fund of the said establishment and accept the past accumulations in respect of such employee and credit the same to his account.

3. No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees of the said establishment, like Regional Provident Fund Commissioner, Delhi shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAMESH TIWARI, Secy. (Labour)

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अप्रैल, 2013

सं. फा. 5(54)/पोलीसी–II/वैट/2012–13/28–39.–जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में रिपब्लिक ऑफ कॉंगों के दूतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के पक्ष में, तत्काल प्रभाव से, वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पत्र संख्या डी–II/451/12(2)/2012 दिनांक 19–2–2013 के द्वारा, अनुरोध किया गया है।

और जबकि मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूँ कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है ।

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ अर्थात् :–

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर, अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, भाग–क में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में, क्रम संख्या (20) के उपरांत नई उप–प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

"(20ए) नई दिल्ली स्थित रिपब्लिक ऑफ कॉंगो के दूतावास की सरकारी खरीद और इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के लिए मूल्य संवर्धित कर की छूट/वापसी।"

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य सवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd April, 2013

No. F. 5(54)/Policy-II/VAT/2012-13/28-39.—Whereas the Ministry of External Affairs, Government of India in accordance with the principle of reciprocity have requested the Government of National Capital Territory of Delhi to exempt VAT in favour of official purchases of the Embassy of the Republic of CONGO in New Delhi and Personal purchases of its diplomats vide their letter No. D-II/451/12(2)/2012 dated 19-2-2013.

And whereas, I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), I hareby make the following amendments in the sixth schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in the entry at Sl. No. 1 in Part-A a new sub-entry after serial No. 20 shall be inserted, namely :—

"(20-A) Republic of CONGO, New Delhi for exemption/refund of VAT in favour of official purchases of its Embassy and personal purchases of its diplomats."

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.